तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट । श्री यज्ञदत्त शर्मा अभिभाषक, रेस्पोडेंटस **आदेश** यह अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 23 (1) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर,(प्रशासन) बूंदी के निर्णय दिनांक 28–4–05 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत अध्याय 3–ब, धारा 30 ई उपधारा 2 परंतुक 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बूंदी के यहां प्रस्तुत कर भूमि खसरा नंबर 701 एवं 702 ग्राम साथेली को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बूंदी ने अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 28–4–05 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि सीलिंग प्रकरण संख्या 25/83 उनवान बनाम गंगाराम में दिनांक 11–5–89 को 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये जाकर भूमिधारी से विकल्प चाहा गया था। भूमिधारी ने भूमि अधिग्रहण हेतु दिनांक 15–6–89 को भूमि खसरा नंबर 163, 168, 701 एवं 702 का विकल्प पेश किया तथा जरिये नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 3–8–01 ग्राम साथेली से भूमि खसरा नंबर 168 रकबा 8 बिस्वा, 701 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा एवं 702 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कुल 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि सिवायचक अंकित कर दी। भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व भूमि भारमुक्त होने सबंधी जांच नहीं की गई। भूमि खसरा नंबर 701 व 702 गत 50 वर्षो से अपीलांट के कब्जेकाश्त में चली आ रही है एवं भार मुक्त नहीं है। सीलिंग में केवल भारमुक्त भूमि ही अधिग्रहण की जाती है। खसरा नंबर 701 एवं 702 के पुराने खसरा नंबर 384 है तथा इस भूमि पर संवत् 2009 से 2012 की जमाबंदी के अनुसार गिरधारी आत्मज औकार मीणा सिकमी काश्तकार दर्ज है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वह खातेदार बन चुके है। गिरधारी के वारिसान अपीलांट ने न्यायालय उपखंड अधिकारी बूंदी में काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। भूमिधारी के पास अन्य भूमि मौजूद है जिसमें से भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। विवादित आराजी पर अपीलांट का सिकमी कब्जाकाश्त लम्बे समय से चले आने के कारण उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के आदेश दिये जाने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तथ्यों को नजरअदांज करते हुये सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का बहस में कथन है कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। विवादित भूमि अपीलांट के खाते में कभी नहीं आई। उक्त भूमि को भूमिधारी के खातें में शामिल करते हुये सीलिंग प्रकरण का निर्णय किया है। अतः भूमिधारी रेस्पोडेंट इस भूमि का ओपशन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट की भूमि पर हैसियत मात्र अतिक्रमी के रूप में है, जिन्हें भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अतिक्रमित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष समर्पित किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विवादित भूमि सीलिंग प्रकरण संख्या 25/83 में भूमिधारी गंगाराम के खाते में मानी जाकर सीलिंग प्रकरण का निर्णय किया गया है। खसरा नंबर 384 भूमि पर संवत् 2007 से 2011 के अनुसार खातेदार के रूप में गिरधारी आत्मज औकार मीणा सिकमी काश्तकार दर्ज है तथा खसरा नंबर 701 एवं 702 के पुराने खसरा नंबर 384 से बने स्पष्ट है। जमाबंदी संवत् 2011 से 2023 में भी अपीलांट के पिता गिरधारी शिकमी जोता अंकित है लेकिन उन्हें खातेदार अब तक घोषित नहीं किया गया है। जब तक किसी पक्ष को खातेदार घोषित नहीं किया जाता तब तक उनकी स्थिति मात्र अतिक्रमी की कहलायेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सिकमी काश्तकार को निर्धारित अवधि के अंदर खोतदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें अपीलांट विफल रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने तथा उनकी स्थिति अतिक्रमी की होने से उनके द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर बूंदी ने खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

अपील / सीलिंग / 2481 / 2005 / जिला बूंदी
बद्रीलाल वगैरह बनाम छितर व अन्य